

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,  
पथवेज एजूकेशन आईटीसी,  
310 चन्द्रलोक, कपूरथला,  
लखनऊ।

पत्रांक:

/टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति

लखनऊ

दिनांक :

२०-४

जुलाई, 2009

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०इ०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14-02-2009 पर दिनांक 24-06-2009 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी			अभ्युक्ति
		स्थायी द्वारा	समिति	डी०जी०इ०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5	
1.	COPA	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-14/2/09 w.e.f. Aug 09

D4 ET- DGT-6/24/6/09-TC (New Pvt) DATED 24.06.09

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आ०इ०आ०र०—स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस०आ०इ०आ०र०—पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आ०इ०आ०र०—विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०—विचाराधीन
- (5) एन०आ०र०—संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०—विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा कि जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिंदुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाइंट व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

पत्रांक : /टी.३/रा०प०/भा०सं०संस्तुति/  
७६३

तददिनांकित

(राहुल देव )  
अपर निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यवितरण पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उपनिदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद, अलीगंज, लखनऊ।